**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2018 का आपराधिक संशोधन सं.923**

थाना कांड संख्या -231 वर्ष 1994 थाना-नवादा जिला-नवादा, से उत्पन्न

==========

1. सहदेव गुप्ता, स्वर्गीय बनवारी लाल गुप्ता निवासी बोकारो स्टील सिटी, किरण स्टोर, सेक्टर IV, थाना -बोकारो, जिला-बोकारो, झारखंड, के पुत्र।

2. नरेश कुमार गुप्ता उर्फ नरश कुमार गुप्ता, सहदेव गुप्ता निवासी बोकारो स्टील सिटी, किरण स्टोर, सेक्टर IV, थाना - बोकारो, जिला-बोकारो, झारखंड का पुत्र।

..... ..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. कन्हैया लाल, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद, निवासी मोहल्ला-पुरानी बाजार, थाना -नवादा, जिला-नवादा (बिहार) के पुत्र।

..... ..... उत्तरदाता/गण

==========

वादी की बेटी को मारुति कार की मांग पर शारीरिक और मानसिक यातना दी गई-बेटी ने पत्रों की श्रृंखला के माध्यम से सूचित किया-मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पेश नहीं किया गया-बेटी और याचिकाकर्ताओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद-असफल वैवाहिक संबंधों में 'भूत' और 'पिसाच' कहकर पत्नी को गाली देना क्रूरता के दायरे के भीतर नहीं आता है-रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज यह दिखाने के लिए नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से मारुति कार की मांग की थी और मांग पूरी न करने पर शिकायतकर्ता की बेटी को क्रूरता का शिकार बनाया गया था।

आई.पी. सी.- की धारा 498A-व्यक्तिगत द्वेष और पक्षों के बीच मतभेदों का परिणाम स्वरूप-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुगर्भित आरोप आरोप-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं-नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा पारित निर्णय और दंडा आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है- दं०प्र०सं की धारा 482-अदालत की अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक विस्तार की होती है-अभिनिर्धारित।

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2018 का आपराधिक संशोधन सं.923**

थाना कांड संख्या -231 वर्ष 1994 थाना-नवादा जिला-नवादा, से उत्पन्न

==========

1. सहदेव गुप्ता, स्वर्गीय बनवारी लाल गुप्ता निवासी बोकारो स्टील सिटी, किरण स्टोर, सेक्टर IV, थाना -बोकारो, जिला-बोकारो, झारखंड, के पुत्र।

2. नरेश कुमार गुप्ता उर्फ नरश कुमार गुप्ता, सहदेव गुप्ता निवासी बोकारो स्टील सिटी, किरण स्टोर, सेक्टर IV, थाना - बोकारो, जिला-बोकारो, झारखंड का पुत्र।

..... ..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. कन्हैया लाल, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद, निवासी मोहल्ला-पुरानी बाजार, थाना -नवादा, जिला-नवादा (बिहार) के पुत्र।

..... ..... उत्तरदाता/गण

==========

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री शरवन कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विशाल कुमार, अधिवक्ता

श्री दिनेश महाराज अधिवक्ता,

विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए : श्री आनंद कुमार, अधिवक्ता

श्री रवि भारद्वाज अधिवक्ता,

राज्य के लिए : श्री आशा कुमारी, एपीपी

==========

**कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी**

**सी.ए.वी. निर्णय**

**तारीखः 22-03-2024**

1. यह तत्काल संशोधन, 30 मई 2017 को आपराधिक अपील सं 39/2008 में विद्वान अतिरक्त सत्र न्यायाधीश बिहारशरीफ में फास्ट ट्रैक अदालतें, 1st, नालंदा, में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके तहत और जिससे विद्वत अपील न्यायालय ने 12 मार्च, 2008 के आदेश को बरकरार रखा, जो 1994 के नवादा थाना कांड संख्या 211 से उत्पन्न हुआ, 1994 के जी. आर. कांड संख्या 1543 के अनुरूप, बिहारशरीफ में विद्वत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालंदा द्वारा, याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक-एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और 2008 के 12 मार्च, 2008 के आदेश संख्या 82 में पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को छह माह के लिए कठोर के साथ कारावास अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए की सजा सुनाई गई थी। 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दहेज निषेध। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2. विपक्षी पक्ष सं.-2 ने शिकायत मामला सं. 656/1994 माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष, याचिकाकर्ताओ और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर किया जिसमें अन्य बातों के *साथ-साथ* यह आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च 1993 को सूचक की बेटी ज्योति गुप्ता का विवाह याचिकाकर्ता सं. 2 के साथ हिन्दू रिति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार किया गया था। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली गई और उसे एक मारूति कार के लिए शारीरिक और मानसिक यातना दी गई याचिकाकर्ता सं.-2 की पत्नी ने याचिकाकर्ताओं को एक मारुति कार प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की,

लेकिन उनके द्वारा उस पर बेरहमी से हमला किया गया। बोकारो में एक पंचायती का आयोजन किया गया जहां उनके वैवाहिक संबंध उन्हें पूरी गरिमा और सम्मान के साथ रखने के लिए सहमत हुए। लेकिन उन्होंने पंचायती के फैसले का पालन नहीं किया। पीड़िता ने अपने पिता को पत्र भेजकर खुलासा किया कि अगर आरोपी व्यक्तियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अंततः उसे मार देंगे। मुखबिर ने अन्य सभी आरोप लगाए, जिसमें याचिकाकर्ताओं को उसकी बेटी के प्रति दहेज संबंधी उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप लगाया गया।

3. उक्त शिकायत को दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को भेजा गया था और तदनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323,120बी, 328 और 386 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के तहत नवादा थाना कांड सं. 231/1994, दिनांक 19 दिसंबर, 1994 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मामला जांच के लिए अपने हाथ में ले लिया। जाँच पूरी होने पर पुलिस ने याचिकाकर्ताओं और प्राथमिकी में नामित 11 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थना पर, मामले को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नवादा के न्यायालय से बिहारशरीफ में नालंदा के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

5. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें उक्त आदेश का संज्ञान लेने और रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि, इस अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी और माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य 11 अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आवेदन को स्वीकार कर लिया।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय दोनों ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाकर्ता सं. 2 की पत्नी के पिता द्वारा लगाए गए सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ विशिष्ट आरोप की कल्पना नहीं की थी। यह आरोप सूचक द्वारा लगाया गया है। कि मारुति कार की मांग पर पीड़ित के साथ क्रूरता की गई थी। हालाँकि, शिकायत में कोई विशिष्ट कथन नहीं है कि मारुति कार की मांग किसने की, इसकी मांग कब की गई और मुखबिर की बेटी को कब और कैसे प्रताड़ित किया गया।

8. बार-बार, वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी बेटी को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से उस पर की गई इस तरह की यातना के लिए उसका कभी भी चिकित्सकीय उपचार नहीं किया गया।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने मूल साक्ष्य के रूप में दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए याचिकाकर्ता संख्या 2 की पत्नी के बयान पर भरोसा किया। हालाँकि, वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत एक बयान

सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि केवल प्रकृति में पुष्टिकारक है, जब यह शिकायत की याचिका में वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि करता है, तो दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान पर सबूत के एक पुष्टिकारक टुकड़े के रूप में भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि, दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान को अभियोजन पक्ष को शामिल करने के लिए अतिरंजित पाया गया है।

10. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता आपराधिक मामले के झूठ को दिखाने के लिए अभिलेखों से कुछ प्रदर्शों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले, वह प्रदर्श-एल का उल्लेख करते हैं जहाँ से यह पता चलता है कि चुनाव लड़ने वाले याचिकाकर्ता संख्या 2 की पत्नी के पिता अपनी बेटी को बिहारशरीफ में नालंदा वापस ले जाने के लिए पुलिस लाए थे, लेकिन वह खुद ही कपड़े पहनकर अपने पैतृक घर वापस चली गई। प्रदर्श-एम और एन का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं को जबरदस्ती के अधीन किया गया था और उनके हस्ताक्षर एक कागज पर प्राप्त किए गए थे जो कथित रूप से विवाह भंग करने के मुकदमे में इसे दायर करने के लिए एक समझौता याचिका थी, जो उनकी पत्नी ज्योति गुप्ता के खिलाफ दायर याचिकाकर्ता संख्या 2 को चुनौती देता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न तो निचली अदालत और न ही अपील न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन सभी गवाहों से पूछताछ की गई, वे या तो परिवार के सदस्य थे या सूचक के सह-ग्रामीण थे। वे इच्छुक गवाह हैं और उनके साक्ष्यों को उचित जांच के बिना एक सुसमाचार सत्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

11. विपरीत पक्ष/सूचक के विद्वान अधिवक्ता दूसरी ओर, पक्ष/मुखबिर प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता उसे "भूत" (भूत) और "पिसाच" कहकर गाली देते थे। विपक्षी पक्ष

संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि क्या 21वीं सदी में एक महिला को "भूत" और "पिसाच" कहकर गाली दी जा सकती है। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा वास्तविक शिकायतकर्ता की बेटी पर की गई अत्यधिक क्रूरता का एक रूप है।

12. वह विवादित आदेश/निर्णयों के प्रासंगिक भागों का उल्लेख करता है और प्रस्तुत करता है कि पुनरीक्षण न्यायालय के पास तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष पर बैठने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सभी गवाहों ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत के साक्ष्य की पुष्टि की। उन सभी ने कहा कि सूचक की बेटी को मारुति कार के रूप में दहेज की मांग पर शारीरिक और मानसिक यातना दी गई थी। इसलिए, निचली अदालत द्वारा पारित और अपील अदालत द्वारा पुष्टि किए गए फैसले को पलटने का कोई कारण नहीं है।

13. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद और अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, मैं शुरुआत में ही यह दर्ज कर लेता हूं कि दं. प्र. सं. की धारा 482 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसकी कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में शामिल दिशा-निर्देशों के अनुसार, में किया जाना है अर्थात , ((i) न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

14. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि आपराधिक मामले से समझौता करने की कोशिश की गई थी। हालाँकि, उक्त मामले से समझौता नहीं किया गया था और

अंत में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक के लिए एक डिक्री दी गई थी। यह न्यायालय अब इस बात पर सवाल नहीं उठा सकता है कि क्या उच्च न्यायालय विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह के विघटन के लिए डिक्री पारित कर सकता है। हालाँकि, जब तलाक के लिए डिक्री को अंतिम रूप दे दिया गया है, तो सीमा समाप्त होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस अदालत को यह स्वीकार करना होगा की दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से तलाक लिया था

15. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक की बेटी को मारुति कार की मांग पर शारीरिक और मानसिक यातना दी गई थी। मुखबिर की बेटी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने अपने पिता को पत्रों की श्रृंखला द्वारा याचिकाकर्ताओं की यातना के बारे में सूचित किया था। हालाँकि, मामले की सुनवाई के दौरान वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा एक भी पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभिलेख से पता चलता की प्रतिद्वन्द्वी याचिकाकर्ता और वास्तविक शिकायतकर्ता की बेटी के बीच बहुत दिन से विवाद चल रहा था।

16. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरता से आग्रह किया कि किसी व्यक्ति को "भूत" और "पिसाच" कहकर गाली देना क्रूरता का कार्य है। यह न्यायालय इस तरह के तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। वैवाहिक संबंधों में, विशेष रूप से असफल वैवाहिक संबंधों में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे को गंदी भाषा में गाली देते हैं। हालाँकि, ऐसे सभी आरोप "क्रूरता" के आवरण में नहीं आते हैं।

17. अभियोजन पक्ष दहेज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसे मजबूर करने के उद्देश्य से उत्पीड़न का मामला सामने लाता है। तत्काल मामले में, अभियोजन

पक्ष का कहना है कि अभियुक्त व्यक्तियों/याचिकाकर्ताओं ने मारुति कार की मांग की। दलों के बीच पंचायती थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले दोनों पक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे को गाली दी, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से एक मारुति कार की मांग की थी और इस तरह की मांग को पूरा न करने पर, वास्तविक शिकायतकर्ता की बेटी के साथ क्रूरता की गई थी। इस न्यायालय को ऐसा लगता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मामला दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत द्वेष और मतभेदों का परिणाम है।

18. ***अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2014) 8 एस. सी. सी. 273*** में सूचित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि

> *"4. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह की संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। धारा 498-ए. भा.दं.सं. को एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए स्पष्ट उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। यह तथ्य कि धारा 498-ए. भा.दं.सं. एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, इसे संदिग्ध असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रावधानों के बीच गर्व का स्थान बना दिया गया हैं। परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया जाए। कई मामलों में, पति के बिस्तर पर पड़े दादा और दादी, दशकों से विदेश में रहने वाली उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जाता है। "*

19. फिर ***प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य, (2010) 7 एस. सी. सी. 677*** में प्रतिवेदित सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि:

> *"32. यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि धारा 498-ए. भा.दं.सं. के तहत इनमें से अधिकांश शिकायतें उचित विचार-विमर्श के बिना तुच्छ मुद्दों पर दर्ज की जाती हैं। हमें बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें मिलती हैं जो प्रामाणिक भी नहीं हैं और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज की जाती हैं। साथ ही, दहेज उत्पीड़न के वास्तविक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि भी गंभीर चिंता का विषय है। "*

20. इस मामले के तथ्यों पर आते हुए और अभिलेख पर अंतर्वस्तु और पूरी सामग्री के अवलोकन पर, यह पटना उच्च न्यायालय सी. आर. है। आरईवी। 2018 का सं. 923 दिनांक। पता चला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सर्वव्यापी आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने उसे परेशान किया और मारुति कार की मांग पर उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया। हालाँकि, इनमें से किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, यानी किसी भी याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। इसने केवल एक सुझाव दिया जिसमें कोई भी अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने में विफल रहता है।

21. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष से सहमत होने की स्थिति में नहीं है।

22. तदनुसार, प्रतियोगिता पर तत्काल संशोधन की अनुमति है।

23. विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा जी आर सं 154/1994 के अनुरूप, नवादा थाना कांड संख्या 231/1994 से उत्पन्न विचारण सं. 82/2008 में पारित दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय एवं आदेश तथा आपराधिक अपील सं. 39/2008 में पारित दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय एवं आदेश तथा आपराधिक अपील सं. 39/2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा इसकी पुष्टि की गई, को एतद द्वारा रद्द एवं अपास्त किया जाता है।

24. हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**(श्री बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)**

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।